न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः–153/2022 प्रा0 पत्र
GCMS No. : 2022/375

1. बिहारीलाल पिता श्री प्यारा जी सोलंकी आयु 68 वर्ष निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० .... प्रार्थी

/ / बनाम / /

1. श्री मांगीलाल पिता प्यारा जी जाति सोलंकी आयु 76 वर्ष निवासी नगर पालिका कर्मचारी कॉलोनी निम्बाहेडा राज०
2. गोपाल पिता प्यारा जी सोलंकी आयु 73 वर्ष निवासी पेंच का पुरा रेल्वे स्टेशन निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमति कस्तुरी बाई पत्नी कन्हैयालाल जी सोलंकी आयु 60 वर्ष निवासी पेंच का पुरा रेल्वे स्टेशन निम्बाहेडा राज०
4. श्रीममि मन्जू देवी पुत्री कन्हैयालाल जी उम्र 40 वर्ष निवासी पंच का पुरा रेल्वे स्टेशन निम्बाहेडा राज०
5. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्वाहेडा राज०
6. श्री विपिन कुमार बोराना पुत्र श्री मांगीलाल सरगरा निवासी फलवा।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत प्रार्थीगण उपस्थित
अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठिया, विपक्षीगण क्रमांक 1 व 6 उपस्थित

निर्णय दिनांकः– 23.01.2023

1. प्रार्थी श्री बिहारीलाल द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया की दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया है जिसमे प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण स० 1 ता 4 के पिता ससुरल व दादा श्री प्यारचन्द्र जी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाके गोजा कचरियाखेडी पह० ढोरिया तह० निम्बाहेडा स्थित है, जिसमें एक खाता आराजी नं0 50/452 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा है, व आराजी नं० 50/470 रकबा 1 बीघा कुल 2 कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा है, इसी प्रकार दुसरे खाते की पुराने आराजी नं0 50/471 रकबा [illegible] बिस्वा है उक्त आराजी के नया खाता सं0 249 की आ0नं0 148 रक[illegible] हेक्टेयर, बारानी लगानी 13.95 रूपये कुल किता 1 कुल [illegible] 13.95 रूपये स्थित वाके है।
2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] है कि वाके मोजा क[illegible]खेडी पह० ढोरिया तह० निम्बाहेडा के पुराने आराजी नं0 50/471 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा है उक्त आराजी के नया खाता सं0 249 की आ0नं0 148 रकबा 2.7900 हेक्टेयर, बारानी लगानी 13.95 रूपये कुल किता 1 कुल रकबा 2.7900 हेक्टेयर कुल लगानी 13.95 रूपये जो कि प्रार्थी व विपक्षीगण के पिता, ससुर व दादा प्यारचन्द जी की पुश्तेनी कब्जे की थी, जो कि एक पुश्तेनी पैत्रक सम्पति है, उक्त आराजी विपक्षी सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

मांगीलाल जो कि परिवार में बड़ा होने से कर्ता खानदान था इसलिये उक्त आराजी को विपक्षी सं0 1 के नाम वादी व विपक्षी नं० 1 के पिता प्यारा जी व मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज करा ली है, जिसे लेकर प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य विवाद है उक्त आराजी को इस मूल वाद व इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

3. उक्त आराजियात पर 1/4 हक हिस्से पर वादी, 1/4 हक हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 व 1/4 हक हिस्से पर प्रतिवादी कमांक 2 गोपाल, 1/4 हक हिस्से पर कन्हैयालाल जी काबिज़ होकर काश्त करते चले आ रहे हैं आज भी श्री कन्हैयालाल जी के वारिसान विपक्षी कमांक 2 ता 4 व प्रार्थी व विपक्षी सं0 1 सभी अपने अपने हक हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी जो कि एक पुश्तेनी पैत्रक सम्पति है जिसमें प्रार्थी व अन्य विपक्षीगण सं0 2 ता 4 का भी हक हिस्सा निहित है। क्यो कि मूल पुरूष प्यारा जी कुल चार लड़के थे जिनके नाम क्रमशः मांगीलाल, गोपाल, कन्हैयालाल, बिहारीलाल है, उक्त आराजी में चारो ही भाईयो को बराबर बराबर 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है. कन्हैयालाल का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान विपक्षी सं0 3 व 4 है।

4. विपक्षी सं0 1 मांगीलाल परिवार का बड़ा था कर्ता खानदान होने से विपक्षी सं0 1 ने वादग्रस्त आराजी को अपने अकेले के नाम खातेदारी में दर्ज करा ली जब कि वादग्रस्त आराजी एक पुश्तेनी पैत्रक सम्पति है उसमें प्यारा जी के सभी वारिसान चारों पुत्रो को बराबर का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित होता है, उक्त वाद ग्रस्त आराजी के सम्बंध में एक लिखापढी दिनांक 13.09.1984 को श्री मांगीलाल जी द्वारा लिखी गयी है उक्त आराजी मेसे 3 बीघा जमीन के भागीदार गोपाल, कन्हैयालाल व बिहारीलाल होगें। प्रार्थी बिना किसी बाधा के 36–37 सालो से निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा आज भी मोके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी विपक्षी सं० 1 के खातेदारी में दर्ज होने से वह उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये रहन विक्रय बक्षीश आदि के माध्यम से खुर्द बुर्द करने पर अमादा है, तथा समझाने बुझाने पर लडाई झगडा व मारपीट करने पर अमादा व प्रार्थी व विपक्षी सं0 2 ता 4 को उनके हक हिस्से से मेहरून कर देने पर अमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरिये अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया संख्या 1 एवं 6 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा

7. जवाब आवेदन पत्र विपक्षी [illegible] द्वारा सोलंकी की ओर से दिया गया कि:–

I. आवेदन पत्र की चरण संख्या [illegible] है कि वादी प्रार्थी ने असत्य मनगंढ तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है [illegible] खारीज होगा। आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 अस्[illegible] व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 प्यारा जी एवं विपक्षी नं0 3 के ससुर एवं विपक्षी नं0 4 के दादा श्री प्याराजी 'के खातेदारी की कोई आराजियात मौजा कचरीयाखेडी पह० ढोरिया में स्थित नही हैं। आराजी न0 50/452 तादादी 20 बीघा 4 बिस्वा, तथा आराजी न0 50/470 तादादी 1 बीघा कुल किता 2 जुमला तादादी 21 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

के खातेदारी की है जिसमें विपक्षी नं0 का कोई हक हिस्सा निहित नही हैं। परन्तु आराजी नं0 50/471 तादादी 11 बीघा बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 148 तादादी 2.70000 है जो मौजा कचरियाखेडी मे स्थित हैं जो विपक्षी नं० 1 मांगीलाल की स्वअर्जित है। जिसमें प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 का कोई स्वत्वहित अधिकार आधिपत्य नहीं हैं

II. आराजी नं0 50/471 वर्तमान खसरा नम्बर 148 को विपक्षी नं० 1 मांगीलाल ने मोहनदास पिता मोतीदास वैरागी निवासी कचरियाखेडी से 400/रुपये अक्षरे चार सौ रुपये में दिनांक 05/12/1959 को क्रय किया था। जो विपक्षी नं 01 के नाम पर जरिये इतकाल नं० 80 दिनांक 01/01/1960 को नामांकित हो गई। विपक्षी नं० 1 की आराजी नं0 50 / 471 स्वअर्जित होने से प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4 का कोई हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य वर्तमान खसरा नं० 148 पर नही हैं वास्ते साक्षी नकल बयनामा व जमाबंदी जवाब दरख्वास्त के साथ पेश हैं।

III. आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 नितांत असत्य एवं आधारहीन होने से कतई स्वीकार नही है, कारण कि विवादित आराजी नं0 148 विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित हैं, जो प्यारा पिता जीवाजी भाम्बी निवासी निम्बाहेडा के खातेदारी की कभी नही रही इसलिए विवादित आराजी नं0 148 प्रार्थी व विपक्षी नं० 2 ता 4 की पुश्तैनी होना कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थी व विपक्षी नं० 2 ता 4 का कोई संयुक्त कब्जा होना भी कतई स्वीकार नहीं है क्योंकि विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित विवादित आराजी हैं जो उसी के खातेदारी की है जिसको विपक्षी नं० 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/07/2022 से श्री विपीन कुमार बोराना पुत्र मांगीलालजी जाति सरगरा निवासी फलवा को 23,44,000/रुपये अक्षरे तेईस लाख चवालीस हजार रुपये में विकित कर कब्जा सौंप दिया तथा विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 01/07/2022 की अनुपालना में आराजी नं0 148 जरिये नामांतरण करण संख्या 541 दिनांक 15/07/2022 से केता विपीन कुमार बौराना के नाम पर नामांकित हो चुकी है वर्तमान में विवादित आराजी नं0 148 का खातेदार काश्तकार विपीन कुमार बोराना हैं।

IV. आवेदन पत्र की चरण संख्या 4 कतई स्वीकार नही है कारण कि विवादित आराजी नं0 148 प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4 की पैतृक पुश्तैनी नही है, वरन विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित होकर उसके खातेदारी कब्जे काश्त की हैं जिसमें विपक्षी नं0 2 ता 4 एवं प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित होना कतई स्वीकार नही है ना ही प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 का 1/4-1/4 हिस्सा होना स्वीकार है। प्याराजी के चार लडके होना स्वीकार है तथा कन्हैयालाल का देहान्त होना भी स्वीकार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी नं० 1 के पिता श्री प्याराजी के देहान्त के बाद 13/09/1984 को प्याराजी की सम्पत्ति के संबंध में लिखा पढ़ी हुई थी जिसमें विवादित आराजियात अंकित नहीं है क्योंकि विवादित आराजियात प्याराजी की नही थी बल्कि विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित है। प्रार्थी विवादित आराजियात में अपना 1/4 हक हिस्सा [illegible] कराने का कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का कोई कब्जा कभी नही [illegible] इस [illegible] कब्जे के आधार पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही [illegible] विगत 36-37 वर्षो से प्रार्थी का कब्जा होना कतई स्वीकार नही है। [illegible] विपक्षी नं० 1 के बजाए क्रेता विपीन कुमार बोराना है जिसका कब्जा विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार के है इसलिए प्रार्थी वादी किसी भी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा विपक्षी नं० 1 के विरुद्ध जारी कराने का कतई अधिकारी नही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

V. प्रार्थी ने असत्य मनगढ़ंत तथ्य अंकित कर मात्र विपक्षी नं० 1 को परेशान करने की नियत से दावा हाजा पेश किया है इसलिए प्रार्थी से विपक्षी नं० 1 विशेष हर्जाना के एक लाख रुपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी ने पूर्व में अपने पिता प्यारा पिता जीवा जी भांभी के खातेदारी की आराजी नं0 50/370 एवं आराजी नं० 50/472 कुल किता 2 तादादी 21 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में घोषणा एवं विभाजन का वाद संख्या 230/1989 ई० माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 कोर्ट निम्बाहेडा में पेश किया था जो दिनांक 14/09/1993 को निर्णित हुआ जिसके अनुसार प्याराजी के खातेदारी की आराजी जिसका हवाला प्रार्थी ने आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित किया हैं वह उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज हुई जिसमें विपक्षी नं० 1 को कोई हक हिस्सा आपसी लिखा पढ़ी दिनांक 13/09/1984 के अनुसार नहीं दिया गया जिसकी प्रति जवाब दरख्वास्त के साथ पेश हैं। इसलिए वाद प्रार्थी का वाद रेस्ज्युडीकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से चलने योग्य नही हैं।

8. जवाब आवेदन पत्र विपक्षी नं0 6 विपीन कुमार बोराना की ओर से दिया गया कि:-

I. आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 इस सीमा तक स्वीकार है कि प्रार्थी ने असत्य मनगंढ तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो अवश्य ही खारीज होगा। आवेदन पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार हैं, कारण कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 प्यारा जी एवं विपक्षी नं0 3 के ससुर एवं विपक्षी नं0 4 के दादा श्री प्याराजी के खातेदारी की कोई आराजियात मौजा कचरीयाखेडी पह० ढोरिया मे स्थित नहीं हैं। प्यारचन्दजी के खातेदारी की विवादित आराजियात होना कतई स्वीकार नही हैं। आराजी नं0 50/452 तादादी 20 बीघा 4 बिस्वा, तथा आराजी नं0 50/470 तादादी 1 बीघा कुल किता 2 जुमला तादादी 21 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4 के खातेदारी की हैं जिसमें विपक्षी नं० 1 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं हैं। परन्तु आराजी नं0 50/471 तादादी 11 बीघा 1 बिस्वा मौजा कचरियाखेडी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 148 तादादी 2. 79000 लगानी 13 रुपये 95 पैसा हैं जो मौजा कचरियाखेडी में स्थित हैं जो विपक्षी नं० 1 मांगीलाल की स्वअर्जित है।

II. प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 का कोई स्वत्व, हित, अधिकार, आधिपत्य नही है। आराजी नं0 50/471 तादादी 11 बीघा 1 बिस्वा मौजा कचरिया खेडी जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 148 तादादी 2.7900 हेक्टेयर को विपक्षी नं० 1 मांगीलाल ने मोहनदास पिता [illegible] कचरियाखेडी से 400/रुपये अक्षरे चार सौ रुपये में दिनांक 05/12/19[illegible] किया था। जो विपक्षी नं० 1 के नाम पर जरिये इंतकाल [illegible] 1980 को नामांकित हो गई। विपक्षी नं० 1 की आराजी न० 50/471 स्वअर्जित [illegible] से प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4 का कोई हक हिस्सा अधिकार आधिपत्य [illegible] खसरा नं0 148 पर नही हैं क्योंकि विवादित आराजियात विपक्षी नं0 6 विपीन कुमा[illegible] सद्भावीक क्रेता के खातेदारी की होकर खातेदार विपीन कुमार के स्वत्व अधिपत्य में हैं, आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 नितांत असत्य एवं आधारहीन होने से कतई स्वीकार नहीं है, कारण कि विवादित आराजी नं0 148 विपक्षी नं0 1 की स्वअर्जित हैं जो प्यारा पिता जीवाजी भाम्बी निवासी निम्बाहेडा के खातेदारी की कभी नही रही इसलिए विवादित आराजी नं0 148 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कचरियाखेडी प्रार्थी व विपक्षी नं० 2 ता 4 की पुश्तैनी होना कतई स्वीकार नही हैं. तथा उनका अर्थात प्रार्थी व विपक्षी नं० 2 ता 4 का कोई संयुक्त कब्जा होना भी कतई स्वीकार नही है, क्योंकि विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित विवादित आराजी हैं जो उसी के खातेदारी की है जिसको विपक्षी नं० 1 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/07/2022 से गुझ सम्पत्ति अर्थात प्यारा जी के खातेदारी की विवादित आराजियात है ही नहीं इसलिए विवादित आराजियात के संबंध में कोई विलेख निष्पादित होना स्वीकार नही है तथा तथाकथित विलेख विधि मान्य भी नही है तथा साक्ष्य मे ग्रहित होने योग्य भी नही हैं। विपक्षी नं0 1 मागीलाल ने प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 2 ता 4 को अपने खातेदारी की आराजी नं0 50/471, जिसके वर्तमान आराजी नं0 148 को किसी भी प्रकार से कभी भी हस्तांतरित नही की हैं।

III. प्रार्थी का धारा 63 (4) राज0का0 अधि0 के तहत कोई एडवर्स पजेशन होना कतई स्वीकार नही है प्रार्थी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार विपक्षी के विरुद्ध कोई अनुतोष पाने का कतई अधिकारी नही हैं। प्रार्थी खातेदार कब्जेदार विपक्षी नं0 6 के विरुद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी कराने का कतई अधिकारी नही हैं। विवादित आराजियात नं0 148 मौजा कथरियाखेडी विपक्षी नं0 6 ने विपक्षी नं0 1 से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01/07/2022 से खरीद कर ली है तथा कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं बाद पंजीयन विक्रय पत्र विपक्षी नं0 6 द्वारा खरीदी गई आराजी विपक्षी नं० 1 के बजाए विपक्षी नं0 6 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी हैं। विपक्षी नं0 6 अपनी खातेदारी का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण रूप से अधिकारी है उसके स्वत्वाधिकार में वादी को दखलअंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। प्रार्थी वादी खातेदार विपक्षी नं0 6 के विरुद्ध कोई घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है, न ही प्रार्थी वादी कोई अस्थाई निषेधाज्ञा ही खातेदार के विरुद्ध जारी कराने का अधिकारी है आवेदन पत्र प्रार्थी वादी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा सव्यय निरस्त होने योग्य हैं।

IV. विवादित आराजियात विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित होकर विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर विपक्षी नं० 1 बतोर खातेदार काश्तकार काबिज रहा विपक्षी नं० 1 ने विवादित आराजियात नं0 148 मौजा कचरियाखेडी को विपक्षी न0 6 विपिन कुमार बोराना से 26,44,000/रुपये अक्षरे तेईस लाख चवालीस हजार रुपये प्राप्त कर कब्जा विवादित विकित शुदा आराजी का सौंप कर विक्रय पत्र दिनांक 01/07/2022 को निष्पादित कर, दिनांक 01/07/2022 को ही पंजीकृत करा दिया, इसलिए वाद प्रार्थी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नही होने से वाद प्रार्थी चलने योग्य नही हैं, क्योंकि विवादित आराजी का बयनामा पंजीकृत बहक विपक्षी नं0 6 को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा ले तब तक वाद प्रार्थी अदालत हाजा में चलने योग्य नहीं है इसलिए वाद प्रार्थी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का नहीं होने से [illegible] श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त [illegible] हैं। प्रार्थी ने असत्य मनगढंत तथ्य अंकित कर मात्र विपक्षी नं० 1 व 6 को परेशान करने की नियत से दावा हाजा पेश किया है इसलिए प्रार्थी से विपक्षी [illegible] के एक लाख रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

V. प्रार्थी ने पूर्व में अपने पिता प्यारा पिता जीवा जी भाम्बी के खातेदारी की आराजी नं0 50/370 एवं आराजी नं० 50/472 कुल किता 2 तादादी 21 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में घोषणा एवं विभाजन का वाद संख्या 230/1989 ई0रे0 माननीय न्यायालय

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

एस0डी0ओ0 कोर्ट निम्बाहेडा मे पेश किया था जो दिनांक 14/09/1993 को निर्णित हुआ जिसके अनुसार प्याराजी के खातेदारी की आराजी जिसका हवाला प्रार्थी ने आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित किया हैं वह उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी तथा विपक्षी नं० 2 ता 4 के शामलाती खातेदारी में दर्ज हुई जिसने विपक्षी नं० 1 को कोई हक हिस्सा आपसी लिखा पढ़ी दिनांक 13/09/1984 के अनुसार नही दिया गया। जिसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश हैं। इसलिए वाद प्रार्थी रेस्ज्युडीकेटा के सिद्धांत से एवं विधिक प्रावधानो से बाधित होने से चलने योग्य नही है।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। साथ ही निम्न नजीरे पेश की जो निम्न वर्णित है।

<u>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे</u>

I. 2018–19(आपूर्ति) आरआरटी 531 राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर माननीय सदस्य श्रीमान रामनिवास जाट अचलाराम बनाम भैराराम संशोधन टीए संख्या 3349/2015 का जोधपुर –29 जुलाई 2019 का फैसला।

II. राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर खंडपीठ) माननीय न्यायमूर्ति एम.एस. बेला एम त्रिवेदी राम किशोर कुमावत बनाम मदन लाल कुमावत व अन्य। एस.बी. सिविल विविध 2012 की अपील संख्या 5049 – 7 जनवरी, 2013 को निर्णय लिया गया।

<u>वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे</u>

I. आर्डर II का नियम

(अ)दावे के हिस्से का त्याग.–जहां एक वादी अपने दावे के किसी हिस्से के संबंध में मुकदमा करने से चूक जाता है, या जानबूझकर छोड़ देता है, वह बाद में इस तरह छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।

(ब) कई राहतों में से एक के लिए मुकदमा करने में चूक.–एक ही कार्रवाई के कारण के संबंध में एक से अधिक राहत पाने का हकदार व्यक्ति ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है, लेकिन अगर वह छोड़ देता है, तो उसकी अनुमति के अलावा न्यायालय, ऐसी सभी राहतों के लिए वाद दायर करने के लिए, वह बाद में इस प्रकार छोड़े गए किसी अनुतोष के लिए वाद नहीं करेगा।

II. 2. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988

III. भारतीय पंजीकरण अधिनियम

IV. 2009 एसएआर (सिविल) 142 सुप्रीम कोर्ट माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और श्री न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ [illegible] कुमार चौहान बनाम विजय कृष्ण मिश्रा

V. (उद्धरण: 2022 (1) डीएनजे (रेव.) 288) [illegible] राजस्थान, अजमेर के लिए राजस्व बोर्ड [illegible] सदस्य (संशोधन/टीए/5194/2019/नागौर, [illegible].2020 को निर्णित) अपीलार्थी उगारा एवं अन्य बनाम जगराम व अन्य।

VI. अपीलकर्ता (उद्धरण: 2022(2) डीएनजे (संशोधित) 1468) राजस्थान, राजस्व विभाग राजस्थान अजमेर वर्तमान: माननीय श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष माननीय श्री. गणेश कुमार, सदस्य (अपील/डिक्री/टी.ए/3040/2022/श्री गंगानगर;

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

13.7.2022 को फैसला) गुरदेव सिंह और अन्य...अपीलार्थी बनाम बलकोर सिंह व अन्य प्रतिवादी।

VII. 2022(2) आरआरटी 1323 राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर माननीय सदस्य श्री. सत्तार खान वाजिद गौड़ – 30 सितंबर, 2022 को निर्णित।

VIII. अपीलकर्ता (उद्धरणः 2022(2) डीएनजे (संशोधित) 1468) राजस्थान, राजस्व विभाग राजस्थान अजमेर वर्तमानः माननीय श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष माननीय श्री. गणेश कुमार, सदस्य (अपील / डिक्री / टी.ए / 3040 / 2022 / श्री गंगानगर; 13.7.2022 को फैसला) गुरदेव सिंह और अन्य...अपीलार्थी बनाम बलकोर सिंह व अन्य प्रतिवादी

IX. 2022(2) आरआरटी 1377 सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायमूर्ति श्री एम आर शाह माननीय न्यायमूर्ति सिविल अपील संख्या 7129 / 2022 श्री. कृष्णा मुरारी उनवान केसर बाई बनाम गेंदा लाल और अन्य– 14 अक्टूबर, 2022 को फैसला किया गया।

X. (उद्धरणः 2008 डीएनजे (एससी) 171) भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2007 की अपील संख्या 5209 (एसएलपी (सी) संख्या 2511 / 2006 से उत्पन्न); 14.11. 2007 को निर्णय लिया गया) माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा प्रतिवादी अपीलकर्ता उपस्थितः ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती राज कुमारी व अन्य।

9. **विद्वान** अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अन्दर प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2059–2062,जमाबन्दी संवत 2077–2080 अटेस्टेट विक्रय पत्र, अटेस्टेट निर्णय, न्यायालय की डिक्री का गहनता से अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो का भी दावे एवं प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य मे ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया प्रकरण के तथ्य जिसमे मौजा कचरियाखेडी पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेडा के खाता संख्या 249 आराजी नम्बर 148 रकबा 2.79 हैक्टयेर है जो वर्तमान मे जमाबन्दी मे विपिन कुमार बोराना के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 541 दिनांक 15 / 07 / 2022 को विपिन कुमार बोराना ने जरिए पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 01 / 07 / 2022 को मांगीलाल पिता प्यारचन्द जी जाति भाम्बी द्वारा क्रय किया गया। इस आराजी के पुराने साविक आराजी नम्बर 50 / 471 रकबा 11 बीघा 1 बस्वा थे। जो मांगू पिता प्यारा के नाम दर्ज थी। प्यार[illegible] पुत्र थे जिनके नाम मांगीलाल उर्फ मांगू, बिहारीलाल , गोपाललाल एवं क[illegible] प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया कि यह सम[illegible] प्यारचन्द की पु[illegible] सम्पति है जिसमे प्यारचन्द के चारो वारीसान मांगीलाल [illegible] गोपाललाल एवं कन्हैयालाल का बराबर हिस्सा है। मांगीलाल जी कि परिवार मे [illegible] बडा कर्ता खानदान था इसलिए उसने उक्त आराजी को सिर्फ अपने नाम दर्ज करा दी। इस सम्पति के सम्बन्ध में हम सभी चारो भाई जो प्यारचन्द के वारिसान है। इस वादग्रस्त सम्पति के सम्बन्ध में एक आपसी समझोता लिखा पढी दिनांक 13 / 09 / 1984 को मांगीलाल द्वारा लिखी गई जिसमे यह बताया कि उक्त भूमि जो कुल 11 बीघा 1 बिस्वा है उसमे से 3 बीघा जमीन के भागीदार गोपाल,कन्हैयालाल और बिहारीलाल है। विपक्षी ने अपनी बहस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़)

बताया की यह भूमि मांगू उर्फ मांगीलाल की स्वअर्जित सम्पति है। जिसको मांगीलाल ने मोहनदास पिता मोतीदास बैरागी निवासी कचरियाखेडी से दिनांक 05/12/1959 को क्रय किया जिसका नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 01/01/1960 को खोला गया जिसके बाद मांगू उर्फ मांगीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ और मांगीलाल ने उक्त जमीन को श्री विपिन कुमार बोराना को जरिए रजिस्ट्री विक्रय पत्र से बेचान किया गया। वर्तमान में विपिन कुमार अभिलिखत खातेदार है। दिनांक 13/09/1984 की लिखा पढी जिसमे मांगीलाल पिता प्यारचन्द ने बताया की गांव कचरियाखेडी में मांगीलाल के नाम जो जमीन है उसमे से तीन बीघा जमीन के भागीदार गोपाल, कन्हैयालाल और बिहारीलाल होगे उक्त तीन बीघा जमीन पर मेरा कोई लेना देना नही होगा इस प्रकार का लिखित पारिवारिक समझोता हो रखा है। उक्त समझोते में उनके अन्य खातेदारी भूमि का भी उल्लेख किया गया है।

10. पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड एवं न्यायक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमियो के सम्बन्ध में मूल वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उभयपक्षो के हक व अधिकारो का निर्धारण उसी मूल वाद में गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निर्धारित होगा। अतः इस स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि का बेचान होने से प्रकरण में आगे वाद बाहुल्यता उत्पन होगी और अन्य विधि जटिलताए उत्पन्न होने से रोकना पूर्णतः अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 जिसके तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णीय क्षति ,सुविधा का संतुलन के बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है कि की उक्त भूमि पर 2.79 हैक्टेयर मे से तीन बीघा जमीन अर्थात 0.75 हैक्टेयर तक खातेदारी घोषणा का वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जो कि अन्तिम निस्तारण होने तक विपक्षी संख्या 6 श्री विपिन कुमार बोराना अपने हिस्से में अंकित कुल भूमि 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि से अधिक का बेचान नहीं करे एवं प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे।

निर्णय

12. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर कि विपक्षी क्रमांक 6 श्री विपिन कुमार बोराना को इस आशय की अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विवादित भूमि वाके मोजा कचरियाखेडी पह० ढोरिया तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 249 आराजी नम्बर 148 रकबा 2.79 हैक्टेयर (कुल 11 बीघा 1 बिस्वा) भूमि में से 2.04 हैक्टेयर (8 बीघा) भूमि से अधिक का बेचान नहीं करे व प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नहीं करे एवं प्रार्थी को उनके कब्जे अुनसार काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे। निर्णय की प्रति विपक्षीगण संख्या 6 एवं तहसीलदार निम्बाहेडा व उप पंजीयक निम्बाहेडा को भेजी जावे। प्रकरण फैसल [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested

13. निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इज[illegible] सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

23/1/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)